

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ज्ञानगढ व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेडा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०२५-२८ में खाता संख्या ५७ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	रूपपुरा	५७	हालु पि० चिंर	हालु ३६ हालु पि० चिंर

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 11/02/2023

क्रमांक:- न्यायालय / 2023/

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
करेडा, जिला-भीलवाड़ा